रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1089] नई दिल्ली, रविवार, मई 18, 2014/वैशाख 28, 1936ड़
No. 1089] NEW DELHI, SUNDAY, MAY 18, 2014/VAISAKHA 28, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2014

का. आ. 1309(अ).—जबकि मैसर्स एअर इंडिया का मुंबई से दिल्ली उड़ान प्रचालित करने वाले बोइंग 787 विमान वीटी-एएनई और मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड का जुहू से पूणे उड़ान प्रचालित करने वाले पी 68 सी विमान वीटी-टीएलई में मुंबई में एक गंभीर घटना (एटीसी) घटी।

और जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि गम्भीर घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी गम्भीर घटनाओं की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिशें करना समायोचित है।

अब, वायुयान (दुर्घटना और घटना अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि उक्त दुर्घटना की औपचारिक जांच की जाए।

केन्द्रीय सरकार, इस गंभीर घटना की परिस्थितियों की जांच करने के लिए श्री एन.एस. डागर, संयुक्त महानिदेशक-(एटीएम), एएआईबी की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं : —

(i) श्री के. रामाचन्द्रन, हवाई संरक्षा अधिकारी, एएआईबी

जब भी अपेक्षित होगा, समिति, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति छह महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

[सं. एवी-15018/07/2014-वीई]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2014

S.O. 1309(E).—Whereas, Boeing 787 aircraft VT-ANE of M/s Air India operating flight from Mumbai to Delhi and M/s Sesa Goa Ltd. P68C aircraft VT-TLE operating flight from Juhu to Pune met with a Serious Incident (ATC) at Mumbai.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the serious incident and make recommendations to avoid recurrence of such serious incidents in future.

Now, in exercise of the powers conferred by the Rule 11 of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said serious incident be held.

The Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Shi N.S. Dagar, Joint GM (ATM), AAIB with the following member to inquire into the circumstances of this serious incident.

(i) Shri K. Ramchandran, Air Safety Officer, AAIB

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[No. AV.15018/07/2014-VE]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.